



212

33  
उपनाम

B.O.R.  
28 AUG 2012



254

कृष्ण अम  
उपनाम

कृष्ण अम  
उपनाम

7

न्यायालय सम्मानीय राजस्व मंडल के प्रम सागर मोम्प्र०

(1) पदमचैद बल्द दीपचैद जैन

निवासी- दुर्गेश बिहार जै०के० रोड मोपाल  
तहसील व जिला मोपाल

(2) सुमत्रानी पत्नि श्री दीपचैद जैन

निवासी- प्रियदर्शिनी नगर रायपुर  
तहसील जिला रायपुर

द्वारा कार्यका :- गगन जैन बल्द पदम चैद जैन

निवासी- दुर्गेश बिहार जै०के० रोड मोपाल  
तहसील व जिला मोपाल मोम्प०

-- पुनरीकाण कर्ता

॥ काम ॥

श्रीमति अर्जुना मिश्रा पत्नि यज्ञवत्त मिश्रा

निवास- बुंदुर कालोनी जैन मंदिर के पास राजाखेड़ी  
तहसील जिला सागर

-- रेस्पाइन्ट

पुनरीकाण अंतर्गत धारा 50 मोम्प्र० मू० राजस्व द्वितीय

पुनरीकाण कर्ता गण पुनरीकाण प्रस्तुत कर प्रार्थना करते है :-

पुनरीकाण कर्ता यह पुनरीकाण

न्यायालय श्रीमान तहसील्डार सागर

के प्रकरण क्रांक 27-अ। 12। 0। 11-0। 12

पदाकार अर्जुना पत्नि यज्ञवत्त मिश्रा

ने पारित आदेश दिनांक 14-05-

2012 से परिवेदित होकर सम्मानीय

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे

हैं।

Rajav.

—२—  
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण नंबर :—निगरानी—2932—दो / 2012

जिला—सागर

पदमचंद व अन्य विरुद्ध श्रीमती अर्चना मिश्रा

रथान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाणकर्मी हस्ताक्षर
07-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>3. यह निगरानी तहसीलदार सागर, जिला— सागर के प्रकरण क्रमांक 27/अ—12/2011—12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 14—05—2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 06—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p> <p style="text-align: right;">(आर.के.भूता) सदस्य</p> 	